


15.12.17

वकील ~~अशोक~~ परिवारीठा उपास्थित।
वादी एवं वादी के अति आलस उपास्थित
नहीं। उन्हें कई बार आवाज लगाया
गई। कोई उपास्थित नहीं और ना ही
कोई दीर्घ उत्तर आया। अतः वादी
अदम हाजिरी व अदम पेशी के खारिज
किया जाय है। पत्रावली कैसलकुमार
देकर शाखिल दफ्तर है।


सहायक कलक्टर ~~पुलगाव~~
धौलपुर (राज.)